M.M.Kumar और गुरदेव सिंह की अदालत के समक्ष, जे. जे.

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़-याचिकाकर्ता

बनाम

हेमंत कुमार मित्तल और अन्य,-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18982-2010 का सीएटी

26 मई, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226/227-चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1966-क्या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अन्य सभी सुविधाओं और रियायतों के हकदार हैं-कैट ने सकारात्मक निर्णय दिया-चुनौती दिए जाने पर, रिट कोर्ट ने तर्क को बिना किसी तर्क के पाया और यह कि न्यायाधिकरण सेवा न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सराहना करने में विफल रहा-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया-न्यायाधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों की स्थिति और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्थिति के आलोक में पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया-मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए भेज दिया गया।

माना गया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाना है, तो ऐसे कर्मचारी वास्तव में केंद्र सरकार के कर्मचारी कैसे बनेंगे।संविधान का एक पूरा अध्याय केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित किया गया है और यह किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सभी कर्मचारी समान नियमों और शर्तों को लागू करके केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे।चूंकि न्यायाधिकरण सेवा न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सराहना करने में विफल रहा है, इसलिए हम

उसके द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और न्यायाधिकरण को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्थिति के आलोक में पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हैं।हम यह स्पष्ट करते हैं कि पक्षकार अपने-अपने दावों के समर्थन में सभी याचिकाओं का आग्रह करने के हकदार होंगे और न्यायाधिकरण इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।रिट याचिका को अनुमति दी गई और मामले को नए सिरे से निर्णय के न्यायाधिकरण को भेज दिया गया।

(पैरा 6 से 9)

आर. एन. रैना की ओर से अधिवक्ता दमन धीर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता।

आर. के. शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

एस. एस. संधू, अधिवक्ताप्रतिवादी संख्या 2 के लिए

कैलाश शर्मा, अधिवक्ता, डी. आर. शर्मा की ओर से

प्रतिवादी संख्या 3 और 4।

एम. एम. कुमार जे.

(1) केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्तता के लिए, 'न्यायाधिकरण') की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित 9 फरवरी, 2010 (पी-21) के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 को केंद्र सरकार का कर्मचारी माना जाना चाहिए और तदनुसार केंद्र सरकार में समान रूप से स्थित कर्मचारियों के लिए आयु छूट का लाभ दिया गया है।याचिकाकर्ता को मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 को उस संबंध में प्रासंगिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए परिणामी निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(2) उपरोक्त राहत प्राप्त करने का उद्देश्य मूल आवेदक-उत्तरदाता संख्या 1 को केंद्र सरकार के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तर (प्रारंभिक) परीक्षा-2006 में भाग लेने में सक्षम बनाना था।

(3) विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता है।कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तर (प्रारंभिक) परीक्षा-2006 आयोजित करने के लिए 14 अक्टूबर, 2006 को एक विज्ञापन जारी किया।मूल आवेदन-उत्तरदाता संख्या 1 ने विचाराधीन पदों के लिए आवेदन किया और वर्ष 2007 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित

हुए।वह सफल रहे और उसके बाद उन्हें वर्ष 2007 में संयुक्त स्नातक स्तर (मुख्य) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।परिणाम 24 अप्रैल, 2008 को घोषित किया गया था और उन्हें 30 मई, 2008 को वाइवा के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था।27 फरवरी, 2009 को घोषित परिणाम के अनुसार, सफल घोषित किए गए 183 उम्मीदवारों में से मूल आवेदन-उत्तरदाता संख्या 1 को अस्थायी रूप से चुना गया था।उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि वे केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं और इसलिए, वे तीन साल की सीमा तक आयु में छूट के हकदार हैं।मूल आवेदन-उत्तरदाता संख्या 1

दावा किया कि वह जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक समूह-सी पद है और अतीत में भी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में मानते हुए आयु में छूट दी गई है।

(4) मूल आवेदन-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए दावे का विरोध किया गया था और यह बताया गया है कि वह 1 अगस्त, 2007 को अधिक उम्र का पाया गया था।इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कर्मचारी होने के नाते, उन्हें कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए आयु में छूट के उद्देश्यों के लिए सामान्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है।इस प्रकार, वह आयु में छूट के पात्र नहीं थे।

(5) न्यायाधिकरण ने यह विचार रखा कि प्रत्यर्थी-भारत संघ ने अपने कार्मिक विभाग द्वारा से याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा था, जो 12 जनवरी, 2010 को दिया गया था।दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार थाः—

> “ए. डी. को सूचित किया जाता है कि यू. टी. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें पंजाब सरकार में उनके समकक्षों के बराबर हैं।जहाँ तक सरकारी कर्मचारी को लाभ देने का संबंध है, यह निर्णय करना भर्ती विभाग का काम है कि किसे ऐसा लाभ दिया जाए या नहीं।”

(6) न्यायाधिकरण ने केंद्रीय सिविल सेवाओं और प्रशासकों के अधीन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर, 1996 को जारी भारत के राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना पर भी भरोसा जताया।यह ध्यान देने के लिए आगे बढ़ता है कि केंद्रीय सिविल सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक के नियंत्रण वाले पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें संबंधित केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होनी चाहिए, जो उन्हीं नियमों द्वारा शासित होती हैं जो वर्तमान में बाद की श्रेणी के पदों पर लागू होती

हैं।उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार निर्णय लियाः —

“6. .....मान लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र है और उनका बजट आदि संसद द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा से पारित किया जाता है।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1996 की सेवा शर्तों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्त किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के तहत समूह ए, बी, सी और डी में पद राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी अन्य प्रावधान के अधीन होंगे, अन्य संबंधित केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होंगे और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो कुछ समय के लिए व्यक्तियों की अक्षर श्रेणी पर लागू होते हैं। यह बयान 1 जनवरी, 1986 से चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को पंजाब वेतनमान के अनुदान का विस्तार करते हुए प्रस्तुत किए गए व्याख्यात्मक ज्ञापन का हिस्सा है। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, विशेष अधिसूचना द्वारा पंजाब सरकार के कर्मचारियों को लागू वेतनमान के बराबर दिए गए वेतनमान को छोड़कर, यू. टी. प्रशासन के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य सभी सुविधाओं और रियायतों के हकदार हैं जो केंद्र सरकार के किसी भी अन्य सिविल कर्मचारी के लिए उपलब्ध हैं। हम उसी के अनुसार चलते हैं।"

(7) हमने पक्षकारों के लिए काफी लंबे समय तक विद्वान अधिवक्ता सुना है। न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया तर्क दुर्भाग्य से बिना किसी तर्क के है। यदि किसी निजी कॉलेज या स्कूल का प्रबंधन सरकारी कॉलेजों/स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू नियमों को अपनाता है तो क्या यह कहा जा सकता है कि विशुद्ध रूप से निजी कॉलेज/स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे। इसका जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। इसी तरह, यदि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाना है, तो ऐसे कर्मचारी वास्तव में केंद्र सरकार के कर्मचारी कैसे बनेंगे। संविधान का एक पूरा अध्याय केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित किया गया है और यह किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सभी कर्मचारी समान नियमों और शर्तों को लागू करके केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे।

(8) चूंकि न्यायाधिकरण सेवा न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सराहना करने में विफल रहा है, इसलिए हमने उसके द्वारा पारित 9 फरवरी, 2010 (पी-21) के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया और न्यायाधिकरण को पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों की स्थिति और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्थिति के आलोक में।हम यह स्पष्ट करते हैं कि पक्षकार अपने-अपने दावों के समर्थन में सभी याचिकाओं का आग्रह करने के हकदार होंगे और न्यायाधिकरण इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(9) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाता है। पक्षकारों को अपने वकील द्वारा से 11 जुलाई, 2011 को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

वी. सूरी

M.M.Kumar और अजय कुमार मित्तलकी अदालत के समक्ष , **जे. जे.**

मेसर्स इंडस्ट्रीयल ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

2004 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15464

25 मार्च, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 47,226/227,245,277 और 304 (b)-कंपनी अधिनियम, 1956-पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914-धारा 3,31,32-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O.XXIII Rl। 1-पंजाब शराब परमिट और पास नियम, 1932-आर. एल. 22-क्या प्रतिवादी राज्य को विकृत शराब के संबंध में परमिट शुल्क लगाने की क्षमता है, विशेष रूप से जब वह न तो उपयुक्त है और न ही मानव उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है-नियमों में संशोधन-विकृत शराब के लिए परमिट जारी करने के लिए परमिट शुल्क को 30 पैसे प्रति थोक लीटर से बढ़ाकर 60

पैसे प्रति थोक लीटर करना-संवैधानिक वैधता-आयोजित, वैध नहीं-औद्योगिक शराब या शराब संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 52 को ध्यान में रखते हुए-राज्य द्वारा किसी भी विनियमन या नियंत्रण का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मानव उपभोग के लिए मादक शराब नहीं है-(1990) 1 एससीसी 109 और (2009) 3 एससीसी 157 का पालन किया गया।

यह माना गया कि सूची की प्रविष्टियाँ 42,52,84 और 97 को पढ़ने के बाद, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियाँ 8,51 और 66 और आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और नियमों को 'पंजाब अधिनियम' के रूप में जाना जाता है।

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता I सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा I

gurvinder kaur